न्यायालय संभागीय आयुक्त कोटा संभाग, कोटा

(निर्णय बइजलास राजेन्द्र सिंह शेखावत आई0ए0एस0 संभागीय आयुक्त कोटा द्वारा आध्यासित)

प्रकरण संख्या : 38/2025/अपील/आर्म्स एक्ट/कोटा
दायरा दिनांक : 17.02.2025
अन्तर्गत धारा : धारा 18 आयुध अधिनियम

उनवान

जितेन्द्र गोचर पुत्र श्री देव लाल गोचर निवासी ग्राम राजपुरा, तहसील कनवास, जिला कोटा

...अपीलार्थी

बनाम

राजस्थान सरकार जरिये पेरोकार सरकार

...रेस्पोडेन्ट

उपस्थित : श्री बद्रीप्रकाश शर्मा, अभिभाषक –अपीलार्थी
पेरोकार सरकार – रेस्पो0

::निर्णय::

दिनांक 10.06.2025

अपीलार्थी ने न्यायालय जिला मजिस्ट्रेट कोटा के निर्णय दिनांक 01.08.2022 बाबत् शस्त्र अनुज्ञापत्र सं0 5262 नवीनीकृत के विरूद्ध अपील अन्तर्गत धारा 18 आयुध अधिनियम में इस न्यायालय मे पेश की गई।

1 प्रकरण के संक्षेप मे तथ्य इस प्रकार है कि जितेन्द्र गोचर पुत्र श्री देव लाल गोचर निवासी ग्राम राजपुरा, तहसील कनवास, जिला कोटा के द्वारा अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष शस्त्र अनुज्ञापत्र सं0 5262 नवीनीकृत किये जाने हेतु दिनांक 27.01.2015 को आवेदन–पत्र प्रस्तुत किया गया। जिसके संबंध में अपीलार्थी को उक्त शस्त्र अनुज्ञापत्र के नवीनीकरण हेतु अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट (नगर), कोटा के पत्रांक 4020 दिनांक 13.06.2018 से आवेदन–पत्र आर्म्स रूल्स 2016 के तहत प्रस्तुत करने हेतु लिखा गया। जिसके उपरांत अपीलार्थी के द्वारा पुनः आवेदन पत्र प्रस्तुत करने पर अधीनस्थ न्यायालय के द्वारा उक्त के क्रम में पुलिस अधीक्षक, कोटा ग्रामीण से आवेदक/अपीलार्थी के आचरण के संबंध में नवीनतम रिपोर्ट मय स्पष्ट टिप्पणी चाहे जाने पंर प्रस्तुत टिप्पणी दिनांक 26.05.2022 से आर्म्स संख्या 5262 का नवीनीकरण किये जाने की अनुशंषा पुलिस अधीक्षक कोटा ग्रामीण के द्वारा नहीं किये जाने से उक्तानुसार जिला मजिस्ट्रेट, कोटा के द्वारा निर्णय दिनांक 01.08.2022 से उक्त शस्त्र

संभागीय आयुक्त
कोटा संभाग, कोटा

अनुज्ञापत्र को नवीनीकरण किया जाना उचित नहीं होना प्रकट करते हुए निर्णय पारित किया गया।

2 अधीनस्थ न्यायालय के निर्णय दिनांक 01.08.2022 से अप्रसन्न होकर अपीलार्थी द्वारा अपील पेश कर कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय तथ्यों व दस्तावेजात के विपरित होने से काबिल निरस्तनीय है। अपीलार्थी के नाम अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट, कोटा द्वारा एक 12 बोर एकनाली गन का लाईसेंस नम्बर 5262/कोटा/बी.एल. जारी किया हुआ है, जिसे अपीलार्थी नियमानुसार नवीनीकरण करवाता चला आ रहा है तथा अपीलार्थी के विरूद्ध मुकदमा दर्ज होने से वह उसे तत्समय नवीनीकरण नहीं करवा सका। अपीलार्थी के द्वारा प्रस्तुत आवेदन पत्र के संबंध में पुलिस अधीक्षक कोटा ग्रामीण के द्वारा नवीनीकरण की अनुशंषा नहीं की गई और अपीलार्थी के विरूद्ध मुकदमा संख्या 51/13 धारा 341, 323/34 आई0पी0पी0 का दर्ज होना बताते हुए जिला मजिस्ट्रेट, बून्दी द्वारा अनुज्ञापत्र नवीनीकरण नहीं किया गया। जबकि उक्त मुकदमा न्यायालय एम0जे0एम कनवास में दिनांक 10.02.2018 को राजीनामा के आधार पर फैसल हो चुका है और जिसमें अपीलार्थी को दोषमुक्त कर दिया गया है। इसके अलावा मुकदमा संख्या 77/2004 में दिनांक 14.05.2009 के फैसले से जुर्माने से दण्डित किया जाना व्यक्त किया गया, जिसको फैसल हुये 13 वर्ष से अधिक समय हो चुके हैं। इस प्रकार अपीलार्थी के विरूद्ध कोई आपराधिक प्रकरण विचाराधीन नहीं है। अपीलार्थी के विरूद्ध दर्ज मुकदमा सं0 51/13 मिथ्या व रंजिशवश करवाया गया था जो राजीनामे के आधार पर फैसल होकर अपीलार्थी को दोषमुक्त किया जा चुका है। ऐसी स्थिति में नियमानुसार उक्त शस्त्र अनुज्ञापत्र को नवीनीकरण किया जाना चाहिए था। इसके उपरांत भी अधीनस्थ न्यायालय द्वारा मात्र दो लाईन में आदेश पारित कर दिया कि ''नवीनीकरण किया जाना उचित नहीं है, प्रकरण के अलावा भी झगड़ालु प्रवृति का है, हथियार का दुरूपयोग किया जाना संभावित है''। जबकि अपीलार्थी एक शांतिप्रिय नागरिक है, अपीलार्थी के विरूद्ध कहीं से भी झगड़ालु प्रवृति का होने बाबत् कोई रिपोर्ट प्राप्त नहीं हुई है और न हीं कभी हथियार का दुरूपयोग किया गया है। इस प्रकार स्पष्ट विवरण उल्लेखित किये बिना आदेश पारित किया गया है, जो निरस्तनीय है। अतः अपील अपीलार्थी स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय दिनांक 01.08.2022 निरस्त फरमाया जावे तथा अपीलार्थी के नाम जारी शस्त्र अनुज्ञापत्र को नियमानुसार नवीनीकृत किये जाने का आदेश फरमाया जावे।

3 अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पो0 को जरिये नोटिस/सम्मन तलब किया गया। अधीनस्थ न्यायालय का अभिलेख प्राप्त होने के उपरांत प्रकरण मे बहस विद्वान अभिभाषक अपीलार्थी एवं रेस्पो0 पैरोकार सरकार सुनी गई।

संभागीय आयुक्त
कोटा संभाग, कोटा

4 विद्वान अभिभाषक अपीलार्थी ने अपील मे उल्लेखित तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया कि पुलिस अधीक्षक कोटा ग्रामीण के द्वारा नवीनीकरण की अनुशंषा नहीं किये जाने से तथा अपीलार्थी के विरूद्ध मुकदमा संख्या 51/13 धारा 341, 323/34 आई0पी0पी0 का दर्ज होना बताते हुए अनुज्ञापत्र नवीनीकरण नहीं किया गया। जबकि उक्त मुकदमा न्यायालय एम0जे0एम कनवास में दिनांक 10.02.2018 को राजीनामा के आधार पर फैसल हो चुका है और जिसमें अपीलार्थी को दोषमुक्त कर दिया गया है। इसके अलावा मुकदमा संख्या 77/2004 में दिनांक 14.05.2009 के फैसले से जुर्माने से दण्डित किया जाना व्यक्त किया गया, जिसको फैसल हुये 13 वर्ष से अधिक समय हो चुके हैं। इस प्रकार अपीलार्थी के विरूद्ध कोई आपराधिक प्रकरण विचाराधीन नहीं है। ऐसी स्थिति में नियमानुसार उक्त शस्त्र अनुज्ञापत्र को नवीनीकरण किया जाना चाहिए था। अपीलार्थी को अधीनस्थ न्यायालय के द्वारा झगड़ालु प्रवृति का होने मानते हुए आदेश पारित किया गया, जबकि इस संबंध में कोई रिपोर्ट प्राप्त नहीं हुई है और न हीं कभी हथियार का दुरूपयोग किया गया है। इस प्रकार स्पष्ट विवरण उल्लेखित किये बिना आदेश पारित किया गया है। अतः अपील अपीलार्थी स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय दिनांक 01.08.2022 निरस्त फरमाया जावे तथा अपीलार्थी के नाम जारी शस्त्र अनुज्ञापत्र को नियमानुसार नवीनीकृत किये जाने का आदेश फरमाया जावे।

5 रेस्पो0 पेरोकार सरकार ने अपीलार्थी के कथन का खण्डन करते हुए जाहिर किया कि अपीलार्थी को जिला पुलिस अधीक्षक, कोटा ग्रामीण द्वारा कोई अनुशंषा नहीं करने से तथा लड़ाई–झगड़ालु किस्म का व्यक्ति होने से ही आवेदन–पत्र खारिज किया गया है। अतः अपील खारिज फरमायी जावे।

6 प्रस्तुत अपील का अवलोकन करने पर प्रकट होता है कि अपीलार्थी द्वारा अपील विलम्ब से प्रस्तुत की गई है तथा मियाद कन्डोन करने हेतु धारा 5 मियाद अधिनियम का प्रार्थना–पत्र संलग्न कर प्रस्तुत अपील अवधि मध्य स्वीकार फरमायी जाकर गुणावगुण पर निर्णय किये जाने का अनुरोध किया गया। रेस्पो0 पेरोकार सरकार द्वारा प्रार्थना–पत्र धारा 5 मियाद अधिनियम में वर्णित तथ्यों का खण्डन नहीं किया गया और न ही खण्डन में कोई प्रतिउत्तर प्रस्तुत किया। लिहाजा इस स्टेज पर अपील अपीलार्थी को गुणावगुण पर सुना जाना न्यायोचित प्रकट होता है।

7 हमने अपील एव अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली का आध्योपांत अवलोकन कर बहस विद्वान अभिभाषक अपीलार्थी एवं रेस्पो0 पेरोकार सरकार पर मनन किया। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली का अवलोकन करने से प्रकट होता है कि जितेन्द्र गोचर पुत्र श्री देव लाल गोचर निवासी ग्राम राजपुरा, तहसील कनवास, जिला कोटा के द्वारा अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष

संभागीय आयुक्त
कोटा संभाग, कोटा

शस्त्र अनुज्ञापत्र सं0 5262 नवीनीकृत किये जाने हेतु दिनांक 27.01.2015 को अधीनस्थ न्यायालय जिला मजिस्ट्रेट, कोटा के समक्ष आवेदन–पत्र प्रस्तुत किया गया। जिसके संबंध में अपीलार्थी को उक्त शस्त्र अनुज्ञापत्र के नवीनीकरण हेतु अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट (नगर), कोटा के पत्रांक 4020 दिनांक 13.06.2018 से प्रस्तुत आवेदन–पत्र आर्म्स रूल्स 2016 के तहत पुनः प्रस्तुत करने हेतु लिखा गया। जिसके उपरांत अपीलार्थी के द्वारा पुनः आवेदन पत्र प्रस्तुत करने पर अधीनस्थ न्यायालय के द्वारा उक्त के क्रम में पुलिस अधीक्षक, कोटा ग्रामीण से आवेदक/अपीलार्थी के आचरण के संबंध में नवीनतम रिपोर्ट मय स्पष्ट टिप्पणी चाहे जाने पर प्रस्तुत टिप्पणी दिनांक 26.05.2022 से अनुज्ञा–पत्र संख्या 5262 का नवीनीकरण किये जाने की अनुशंषा पुलिस अधीक्षक कोटा ग्रामीण के द्वारा नहीं किये जाने से उक्तानुसार जिला मजिस्ट्रेट, कोटा के द्वारा निर्णय दिनांक 01.08.2022 से उक्त शस्त्र अनुज्ञापत्र को नवीनीकरण किया जाना उचित नहीं होना प्रकट करते हुए निर्णय पारित किया गया। प्रस्तुत प्रकरण में अपीलार्थी का तर्क रहा है कि पुलिस अधीक्षक कोटा ग्रामीण के द्वारा नवीनीकरण की अनुशंषा नहीं किये जाने से तथा अपीलार्थी के विरूद्ध मुकदमा संख्या 51/13 धारा 341, 323/34 आई0पी0पी0 का दर्ज होना बताते हुए अनुज्ञापत्र नवीनीकरण नहीं किया गया। जबकि उक्त मुकदमा न्यायालय एम0जे0एम कनवास में दिनांक 10.02.2018 को राजीनामा के आधार पर फैसल हो चुका है और जिसमें अपीलार्थी को दोषमुक्त कर दिया गया है। इसके अलावा मुकदमा संख्या 77/2004 में दिनांक 14.05.2009 के फैसले से जुर्माने से दण्डित किया जाना व्यक्ति किया गया, जिसको फैसल हुये 13 वर्ष से अधिक समय हो चुके हैं। इस प्रकार अपीलार्थी के विरूद्ध कोई आपराधिक प्रकरण विचाराधीन नहीं है। उपरोक्त विवेचनानुसार अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली का अवलोकन करने पर प्रकट होता है कि अपीलार्थी के द्वारा शस्त्र अनुज्ञापत्र के नवीनीकरण हेतु अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष आवेदन–पत्र दिनांक 27.01.2015 को प्रस्तुत किया गया। प्रस्तुत आवेदन–पत्र के संबंध में अपीलार्थी के विरूद्ध मुकदमा संख्या 51/13 धारा 341, 323, 34 आईपीसी थाना देवली मांझी में दर्ज होकर पेण्डिंग कोर्ट होने से माननीय न्यायालय में वर्तमान में प्रकरण विचाराधीन होने से नवीनीकरण किया जाना विधिसम्मत नहीं होना वर्णित करते हुए उक्तानुसार अपीलार्थी को पत्रांक 3589 दिनांक 14.07.2016 से सूचित किया गया। इसके उपरांत अपीलार्थी के द्वारा दिनांक 26.02.2018 को उक्त विचाराधीन प्रकरण में निर्णय दिनांक 10.02.2018 को पारित होना जाहिर करते हुए पुनः नवीनीकरण हेतु प्रार्थना–पत्र पेश किया गया। प्रस्तुत प्रकरण में अधीनस्थ न्यायालय के द्वारा पत्रांक 1214 दिनांक 02.05.2018 से पुनः पुलिस अधीक्षक, कोटा ग्रामीण से शस्त्र अनुज्ञापत्र नवीनीकरण किये जाने हेतु स्पष्ट टिप्पणी सहित रिपोर्ट चाही गई। जिसके संबंध में पुलिस अधीक्षक, कोटा ग्रामीण के द्वारा पत्रांक 5006 दिनांक 31.05.2018 से आवेदक का आर्म्स लाईसेंस नवीनीकरण किये जाने की अनुशंषा की गई। इसके उपरांत अपीलार्थी का

संभागीय आयुक्त
कोटा संभाग, कोटा

शस्त्र अनुज्ञापत्र रिकॉर्ड अनुसार दिनांक 04.01.2015 तक नवीनीकृत होने से आर्म्स रूल्स 2016 के तहत नवीन आवेदन–पत्र प्रस्तुत करने हेतु पत्रांक 4020 दिनांक 13.06.2018 से अपीलार्थी को लिखा गया। जिसकी पालना में अपीलार्थी द्वारा आवेदन पत्र दिनांक 09.07.2018 को प्रस्तुत करने पर पुनः पत्रांक 240 दिनांक 25.03.2022 से पुलिस अधीक्षक कोटा ग्रामीण से प्रकरण के 4 वर्ष से अधिक का समय पूर्ण होने से पुनः अपीलार्थी/आवेदक के आचरण संबंधी नवीनतम रिपोर्ट मय स्पष्ट टिप्पणी चाही गई। प्रस्तुत प्रकरण में पुलिस अधीक्षक, कोटा ग्रामीण के द्वारा पत्रांक 5147 दिनांक 26.05.2022 से आवेदन/अपीलार्थी के विरूद्ध आपराधिक प्रकरण दर्ज होने एवं लड़ाई–झगड़ालू किस्म का व्यक्ति होना प्रकट करते हुए उक्त अनुज्ञा–पत्र संख्या 5262 का नवीनीकरण किये जाने की अनुशंषा नहीं किये जाने पर तदनुसार जिला मजिस्ट्रेट, कोटा द्वारा निर्णय दिनांक 01.08.2022 से उक्त आर्म्स लाईसेंस संख्या 5262 का नवीनीकरण नहीं किया जाना उचित होना प्रकट किया गया। प्रस्तुत प्रकरण में अधीनस्थ न्यायालय के द्वारा कार्यालय टिप्पणी अनुसार **"दिनांक 28.08.2018 के उपरांत पुनः दिनांक 22.03.2022 को"** पत्रावली प्रस्तुत होना प्रकट होता है', ऐसी स्थिति में उक्त आवेदन पत्र के संबंध में पत्रावली के लगभग 4 वर्ष के लम्बित रखे जाने को उचित नहीं ठहराया जा सकता है। चूंकि प्रकरण 4 वर्ष तक अधीनस्थ न्यायालय के स्तर पर लबित होने से अधीनस्थ न्यायालय के द्वारा पुनः प्रकरण में पुलिस अधीक्षक कोटा ग्रामीण से पत्रांक 240 दिनांक 25.03.2022 से रिपोर्ट चाही गई। जबकि विचाराधीन आवेदन पत्र के संबंध में आवेदक/अपीलार्थी द्वारा पूर्व लम्बित मुकदमा संख्या 51/13 धारा 341, 323, 34 आई0पी0सी0 में दर्ज प्रकरण का प्रार्थना–पत्र दिनांक 26.02.2018 से अवगत कराया गया था कि राजीनामे के आधार पर माननीय सिविल न्यायाधीश एवं न्यायिक मजिस्ट्रेट, कनवास के द्वारा दिनांक 10.02.2018 को निर्णय पारित किया जा चुका है। इसके उपरांत पुलिस अधीक्षक कोटा ग्रामीण के द्वारा पत्रांक 5006 दिनांक 31.05.2018 से आर्म्स लाईसेंस नवीनीकरण किये जाने की अनुशंषा की गई। प्रस्तुत प्रकरण में अपीलार्थी को पुनः उक्त शस्त्र अनुज्ञापत्र के नवीनीकरण हेतु अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट (नगर), कोटा के पत्रांक 4020 दिनांक 13.06.2018 से प्रस्तुत आवेदन आर्म्स रूल्स 2016 के तहत आवेदन–पत्र प्रस्तुत करने हेतु लिखा जाने पर अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली के **"पेरा संख्या 28 अनुसार आवेदक द्वारा आर्म्स रूल्स 2016 के तहत नवीनीकरण आवेदन पत्र एवं नवीनीकरण फीस चालान द्वारा जमा की जा चुकी है"** अंकित किया गया है। इस प्रकार अपीलार्थी के द्वारा वांछित आवेदन पत्र प्रस्तुत किये जाने के उपरांत अधीनस्थ न्यायालय द्वारा कोई कार्यवाही तत्समय नहीं किया जाना प्रकट होता है एवं "दिनांक 28.08.2018 के उपरांत पुनः दिनांक 22.03.2022 को" पत्रावली को विलम्ब से प्रस्तुत किया गया, जो उचित प्रकट नहीं होता है। साथ ही पुलिस अधीक्षक, कोटा ग्रामीण के पूर्व पत्रांक 5006 दिनांक 31.05.2018 से आर्म्स लाईसेंस नवीनीकरण किये जाने की अनुशंषा की गई। इसके

संभागीय आयुक्त
कोटा संभाग, कोटा

पश्चात् अधीनस्थ न्यायालय के स्तर पर पत्रावली 4 वर्ष तक लंबित रहने पर पुनः पुलिस अधीक्षक, कोटा ग्रामीण से रिपोर्ट चाही जाने पर पत्रांक 5147 दिनांक 26.05.2022 से प्राप्त रिपोर्ट अनुसार आवेदन/अपीलार्थी के विरूद्ध आपराधिक प्रकरण दर्ज होने एवं लड़ाई–झगड़ालू किस्म का व्यक्ति होने प्रकट करते हुए उक्त आर्म्स लाईसेंस संख्या 5262 का नवीनीकरण किये जाने की अनुशंषा नहीं किये जाने के आधार पर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा उक्त शस्त्र अनुज्ञापत्र नवीनीकरण किया जाना उचित नहीं होना प्रकट किया गया। जबकि पुलिस अधीक्षक, कोटा ग्रामीण से प्राप्त पूर्व रिपोर्ट पत्रांक 5006 दिनांक 31.05.2018 के उपरांत पुनः प्रेषित रिपोर्ट पत्रांक 5147 दिनांक 26.05.2022 के अनुसार उक्त अवधि के मध्य में कोई नवीन आपराधिक प्रकरण दर्ज नहीं होना प्रकट होता है। ऐसी स्थिति में प्रकरण में अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 01.08.2022 को उचित नहीं ठहराया जा सकता। अतः ऐसी स्थिति में हम प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय को प्रतिप्रेषित किया जाना उचित समझते हैं। लिहाजा अपील अपीलार्थी आंशिक रूप से स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय जिला मजिस्ट्रेट कोटा द्वारा पारित निर्णय दिनांक 01.08.2022 को अपास्त किया जाता है। प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय को इन दिशा–निर्देशों के साथ प्रेतिप्रेषित किया जाता है कि उपरोक्त विवेचित तथ्यों का परीक्षण कर अपीलार्थी को सुनवाई एवं पक्ष प्रस्तुत करने का समुचित अवसर प्रदान कर प्रकरण में पुनः तर्कसंगत एवं विधिसम्मत निर्णय पारित करे।

8 निर्णय आज दिनांक 10.06.2025 को मेरे द्वारा टंकित कराया जाकर बाद हस्ताक्षर न्यायालय मुद्रा अंकित कर जारी किया गया।

(राजेन्द्र सिंह शेखावत)
संभागीय आयुक्त
कोटा

संभागीय आयुक्त
कोटा संभाग, कोटा